राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2852/2024

सविता मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. प्राधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोदक गांव, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.09.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोदक गांव, ब्लॉक खैराबाद जिला कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को एपीओ मानते हुए शिकायतों के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर में किया गया एवं प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का प्रतिबंध अवधि में एपीओ के रूप स्थानान्तरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.02.2024 के बाद स्थानान्तरण और एपीओ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतः आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग कर जारी किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1446/2024 महेन्द्र कुमार जाटव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 का उद्धरण

देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी इसके समान बताया गया है (अनुलग्नक–3)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.09.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोदक गांव, जिला कोटा में कार्यरत रहने एवं नियमित वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोदक गांव, ब्लॉक खैराबाद जिला कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को शिकायतों के आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर में पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रावधान है। प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश दिनांक 05.09.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.09.2024 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य